

उनवान

आपू बनाम बिस्मिल्ला

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 31/2018
पेश करने की दिनांक - 08.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज० पैरोकार अभिभाषक गिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम बितुर के हाल खसरा नम्बर 468/1 रकबा 0.2183 का खातेदार असमालपुत्र अजमाल 1/3 हि., आपू पत्नी अजमाल 1/3 हि., सायर पुत्र अजमाल 1/3 हि. व खसरा नम्बर 468/2 रकबा 2.4017 का खातेदार विभाजन प्रस्ताव में दर्ज शेष खातेदार को हिस्से अनुसार घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक १९ मार्च सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
नसीराबाद (अजमेर)

